

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-179 / 2006
संस्थित दिनांक-17.04.2006
फा.नं.-234503000572006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1.प्रवीण उर्फ कालू पिता राजकुमार सिंघला, उम्र-47 वर्ष,
2.छोटू उर्फ हेमंत कुमार पिता राजकुमार सिंघलाल, उम्र-25 वर्ष,
दोनों निवासी-गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक-10/08/2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 294 एवं धारा-19 कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-14.04.2006 को समय 7:00 बजे स्थान ग्राम बोदा तिराहा थाना अंतर्गत गढ़ी में प्रार्थी ढोंडूलाल गोकुलपुरे, एफ.एस. राहंगडाले व ओ.एल. राहंगडाले जो लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहे थे, उन्हें उनके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से उनपर हमलाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया, प्रार्थी ढोंडूलाल गोकुलपुरे, एफ.एस. राहंगडाले व ओ.एल. राहंगडाले को मौं-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा अपने आधिपत्य की मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50सी.0240 द्वारा कृषि उपज मंडी मोहगांव का कृषि उपज शुल्क बिना पटाये 86 बोरी मसुर व 15 बोरी बटरी का परिवहन किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी ढोंडूलाल ने दिनांक 14.04.2006 को पुलिस थाना गढ़ी आकर यह रिपोर्ट लिखाई कि वह

मोहगांव कृषि उपज मंडी में सचिव के पद पर पदस्थ है। दिनांक 14.04.2006 को मंडी निरीक्षक फूलसिंह राहंगडाले सहायक निरीक्षक वोरीलाल के साथ वह कृषि उपज की अवैध निकासी को पकड़ने के लिये बोदा रोड गया था, वहाँ पर वाहन क्रमांक एम.पी.50सी00240 की जांच करने पर वाहन में मसुर व बटरी भरा हुआ था, परन्तु उसमें कोई मंडी शुल्क के कागज नहीं थे। उसने वाहन चालक से पूछताछ की, तब उसने वाहन के स्वामी छोटू सिंघला एवं प्रवीण सिंघला को बुलाया था। आरोपीगण ने उसे मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ दी एवं धक्का-मुक्की कर उसके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया था। उपरोक्त आधार पर अपराध क्रमांक 15/06 अंतर्गत धारा 186 एवं 294 एवं धारा 19 कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत चालान पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 294 एवं धारा-19 कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी ठोंडूलाल, एफ.एस. राहंगडाले, स्व0 ओ.एल. राहंगडाले की ओर से विधिक प्रतिनिधि पत्नी श्रीमती दिनेश्वरी राहंगडाले ने आरोपीगण से राजीनामा किया है। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 एवं धारा 19 कृषि उपज मंडी अधिनियम के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-14.04.2006 को समय 7:00 बजे स्थान ग्राम बोदा तिराहा थाना अंतर्गत गढ़ी में प्रार्थी ठोंडूलाल गोकुलपुरे, एफ.एस. राहंगडाले व ओ.एल. राहंगडाले जो लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहे थे, उन्हें उनके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से उनपर हमलाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50सी.0240 द्वारा कृषि उपज मंडी मोहगांव का कृषि उपज शुल्क पटाये, 86 बोरी मसुर व 15 बोरी बटरी का परिवहन किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी ढोंडूलाल अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण कृषि उपज मंडी समिति मोहगांव के व्यापारी है। आरोपीगण दिनांक 14.04.2006 को सुबह 04:00 बजे अपने वाहन में बटरी व मसुर लेकर जा रहे थे। आरोपीगण का वाहन रोककर बटरी व मसुर के परिवहन की अनुज्ञा फूलसिंह राहंगडाले द्वारा पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ चालक से हो रही थी तभी उसने आरोपी प्रवीण सिंघला को बुलाया। आरोपी प्रवीण सिंघला ने कहा कि तू कौन होता है गाड़ी देखने वाला। इस तरह से आरोपीगण ने उसके शासकीय कार्य में बाधा डाली थी। आरोपी छोटू लकड़ी पकड़कर मारपीट के लिये दौड़ा था। पुलिस ने मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण के पास माल के परिवहन की अनुज्ञा थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण से वाहन जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने कहा है कि उसके द्वारा की गई रिपोर्ट प्र.पी.07 में विशिष्टतः गाली का नाम नहीं लेख है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि पुराना विवाद होने के कारण उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने फूलसिंह राहंगडाले से विवाद किया था उससे विवाद नहीं किया था।

6— अभियोजन साक्षी फूलसिंह राहंगडाले अ.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 14.04.2006 की सुबह 06 बजे की है। वह जांच की कार्यवाही कर रहा था तभी आरोपीगण से बटरी व मसुर के विषय में अनुज्ञा पूछे जाने पर आरोपीगण ने उसे मों-बहन की अश्लील

गालियों दी थी और आरोपी छोटू ने लकड़ी से मारने का प्रयास किया था। उसने थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मौका नक्शा प्र.पी.02 उसके समक्ष बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह वाहन चालक से पूछताछ कर रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उन लोगों ने गाड़ी जप्त कर ली थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि प्र.डी.01 से लगायत प्र.डी.06 की रसीद जब उसने वाहन पकड़ा था तब उसे नहीं दिखाई गई थी। उल्लेखनीय है कि प्र.डी.01 लगायत 06 की रसीद कृषि उपज मंडी मोहगांव द्वारा बटरी एवं मसुर के परिवहन के संबंध में जारी रसीदें हैं। यह रसीदे दिनांक 14.04.2006 को काटी गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल पर उसने कोई लिखा-पढ़ी नहीं की थी। साक्षी ने कहा है कि पुलिस वालों ने थाना गढ़ी में भी उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह वाहन चालक से पूछताछ कर रहा था तब आरोपीगण वहाँ नहीं थे। आरोपीगण चालक के बयान लेने के 10 मिनट बाद वहाँ पर आये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराया था।

7— अभियोजन साक्षी एस.आर. साहू अ.सा.06 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 14.04.2006 को थाना गढ़ी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को प्रार्थी गोकुल द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्र.पी.01 प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर उसने आरोपी प्रवीण एवं छोटू उर्फ हेमंत कुमार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/06 अंतर्गत धारा-186, 294 भा.द.वि. की रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रार्थी ने उसे आरोपीगण द्वारा अश्लील गाली देने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाना बताया था। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.01 लेख की गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 14.04.2006 को उसने मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उसने गवाहों के बयान लेख

किये थे। उसने वाहन क्रमांक एम.पी.50सी.0240 जिसमें मसुर व बटरे रखे थे, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 14.04.2006 की है और उसी दिनांक को उसने प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने वाहन क्रमांक एम.पी.50सी.0240 को मय दस्तावेज के जप्त किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने कृषि उपज मंडी के अधिकारियों के साथ गाली-गलौच कर शासकीय कार्य में बाधा नहीं पहुँचाई थी।

8— अभियोजन साक्षी कृष्णदयाल अ.सा.08 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके कथन देने से चार पांच वर्ष पूर्व की है। 709 वाहन को वह अपने वाहन मालिक के घर गढ़ी में खड़ी करके अपने घर चला गया था। मोहगांव मंडी के पास मंडी वालों ने उसका वाहन नहीं रोका था। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके तीन-चार जगह कागजों पर दूसरे दिन हस्ताक्षर करवा लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 14.04.2016 को वाहन क्रमांक एम.पी.50सी.0240 में बटरी व मसुर लेकर गढ़ी से बिछिया जा रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया है वह आरोपी प्रवीण का माल लाने ले जाने का काम करता है।

9— अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.07 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के 5-6 वर्ष पूर्व की है। वह बुलेरो जीप से मोहगांव मंडी के साहब को लेकर जा रहा था, तभी 709 के वाहन चालक की मंडी साहब के साथ झगड़ा हुआ था। घटना के समय वह गाड़ी में सोया हुआ था। आरोपीगण क्या कह रहे थे इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि मंडी मोहगांव के पास वाहन क्रमांक एम.पी. 50जी/0240 के पास माल के कागज नहीं थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया

है कि आरोपीगण ने उसके सामने मॉ-बहन की अश्लील गालियों दी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने झगड़ा होते हुये नहीं देखा था और फिर कहा कि वह झगड़े के समय दूर चला गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह थकान होने के कारण गाड़ी में सोया हुआ था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे पुलिस थाने में हस्ताक्षर करने को कहा गया था तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे।

10— अभियोजन साक्षी कृष्णा देसराज अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। वह हेण्डपंप पर था, तब पुलिस वालों ने कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसने पुलिस वालों के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को हरे रंग की मेटाडोर वाहन को रोककर मोहगांव मंडी के साहब ने चैक किया था। साक्षी ने इस बात की जानकारी नहीं होना कहा है कि आरोपी कालू उर्फ प्रवीण मंडी अधिकारी को मारने के लिये उतारू हुआ था, तब साक्षी ने बीच-बचाव किया था। साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.3 लेख नहीं कराना व्यक्त किया है।

11— अभियोजन साक्षी अयुब खान अ.सा.05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। आरोपीगण उसके गांव के रहने वाले है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से कोई जप्ती नहीं की थी किन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.04 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर साक्षी ने उसके सामने आरोपी परवीन से वाहन क्रमांक एम.पी.50जी./0240 से 86 बोरी मसुर व 15 बोरी बटरी की जप्ती किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दोनों आरोपीगण की पुलिस थाने में जमानत ली थी। साक्षी ने फिर कहा है कि प्र.पी.04 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही उसके सामने नहीं हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सभी कागजों पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये

थे।

12— आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 के अंतर्गत अपराध किये जाने के संबंध में साक्षी ढोंडूलाल अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है तब आरोपीगण ने गाली-गलौच कर उसके शासकीय कार्य में बाधा डाली थी जिसकी रिपोर्ट थाने में लेख कराई गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने फूलसिंह राहंगडाले से विवाद किया था, उससे विवाद नहीं किया था। इस प्रकार साक्षी ढोंडूलाल अ.सा.01 के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि आरोपीगण ने साक्षी के शासकीय कार्य में बाधा नहीं डाली गई थी। अभियोजन साक्षी फूलसिंह अ.सा.02 के कथनों पर विचार किया जावे तो उसने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपीगण ने कहा था कि गाड़ी क्यों रोकी है तब आरोपीगण ने उसे लकड़ी से मारने का प्रयास किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि वह झायवर से पूछताछ कर रहा था, तब आरोपीगण मौके पर नहीं थे और 10 मिनट के बाद आरोपीगण मौके पर आये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि फरियादी ढोंडूलाल तथा फूलसिंह राहंगडाले शासकीय कार्य कर रहे थे यह सिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा उनका ड्यूटी प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.07 का कहना है कि वह घटना के समय सो रहा था इसलिये उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी कृष्णदयाल अ.सा. 08 ने संपूर्ण घटना होने से इंकार किया है और कहा है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हो रहा है, जिससे आरोपीगण द्वारा फरियादी ढोंडूलाल एवं फूलसिंह राहंगडाले के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपीगण को अंतर्गत धारा-353 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 का निष्कर्ष :-

13— अभियोजन साक्षी ढोंडूलाल अ.सा.01 ने कहा है कि उसने घटना दिनांक को आरोपीगण का वाहन रोककर बटरी व मसुर के विषय में अनुज्ञा की पूछताछ नहीं की थी। इसी आशय का कथन अभियोजन साक्षी फूलसिंह राहंगडाले अ.सा.02 ने किया है और कहा है कि घटना दिनांक को बटरी व मसुर के परिवहन हेतु अनुज्ञा वाहन चालक से पूछी गई थी। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अभियोजन साक्षी फूलसिंह राहंगडाले अ.सा.02 ने आरोपीगण से अनुज्ञा की पूछताछ नहीं की थी एवं ढोंडूलाल अ.सा.01 ने भी आरोपीगण से परिवहन की अनुज्ञा की पूछताछ नहीं की थी, उसने वाहन चालक से पूछताछ की थी। अभिलेख पर प्र.डी.01 से लगायत प्र.डी.06 की रसीद प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 14.04.2006 की है जिससे यह आशय निकाला जा सकता है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा मंडी शुल्क चुकाया गया था। अभियोजन साक्षी कृष्णा देसराज अ.सा.05, सुरेन्द्र अ.सा.07 एवं कृष्णदयाल अ.सा.08 ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा आवेदन में इस बात का उल्लेख है कि आरोपीगण द्वारा मंडी शुल्क का भुगतान लोक अदालत में हुये राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा-19 कृषि उपज मंडी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

14— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50जी/0240, जप्तशुदा सामान मसुर एवं बटरी मय दस्तावेजों के सुपुर्ददार अरविंद पिता राजकुमार निवासी ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट को पूर्व में सुपुर्दनामे पर प्रदान किया जा चुका है। अतः उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

बैहर

दिनांक-10.08.2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट